न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 06/2022(2022/36)

1. सवाईराम पुत्र श्री रायमल जाट जाति जाट निवासी प्रान्हेड़ा तहसील केकड़ी जिला–अजमेर

———प्रार्थी

बनाम

1. बैजनाथ पुत्र श्री रायमल जाट
2. हंसराज पुत्र श्री रघुनाथ जाट
3. रामस्वरूप पुत्र श्री लादूराम रेगर
   सभी निवासी ग्राम प्रान्हेड़ा तहसील केकड़ी जिला–अजमेर।

4. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब केकड़ी (अजमेर)

——— प्रतिवादीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः–
प्रार्थी वकील :– सांवर लाल चौधरी
पेराकार सरकार :– जरिये तहसीलदार केकडी

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. काश्तकारी अधिनियम)

आदेश

दिनांक 30.9.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थी द्वारा संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम प्रान्हेडा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबंदी संवत 2069–76 में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है।

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
948–1063	5728/4470 4467	2.06 0.15	चाही 2 खड्डा गै.मु.पाल
	कुल किता 2	कुल रकबा 2.21	

उपरोक्त आराजी वादी/ प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। वर्णित आराजी वादी/प्रार्थी की स्वयं की आराजी हैं उपरोक्त आराजी वादी/प्रार्थी की उक्त आराजी के सीमा चिह्न खुर्दबुर्द हो गए तथा पड़ोसियों से आए दिन कब्जे काश्त में लड़ाई झगड़े होते हैं। क्योंकि उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण अवैध व गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की नियत रखते हैं इसलिए वादी/प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी का दावा करना लाजमी आया है। वादी/प्रार्थी उपरोक्त आराजी की नियमानुसार पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है जिससे मौके पर पुख्ता निशान कायम किए जा सके। ताकि आऐ दिन वादी/प्रार्थी को अप्रार्थीगण से विवाद नहीं करना पड़े एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे तथा बहुवाद कार्रवाइयों मे उलझना नहीं पड़े, इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। वादी/प्रार्थी दिनांक 25.12.2021 को आराजीयात में आवश्यक कार्य करने गए तो पड़ोसियों ने सीमा चिह्न नहीं होने से धमकी दी कि यहां तक हमारा खेत है तथा उक्त सीमा चिह्नों के अभाव में हमारे

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

खेत में हकाई बुवाई भी नहीं करने दी जिससे उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया है। वादी/प्रार्थी पत्थरगढ़ी की फीस नियमानुसार अदा करने को तैयार है। स्थाई पत्थरगढ़ी प्रतिवादी की उपस्थिति में श्रीमान् तहसीलदार केकड़ी को पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान करावें ताकि पुख्ता चिह्न बनाए जा सके अतः प्रार्थी ने अपनी आराजीयात में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 जर्ये पैरोकार सरकार ने जवाब टिप्पणी अंकित कर बताया कि संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार वादग्रस्त आराजी खातेदारी में दर्ज है राजहित प्रभावित नही है व शेष अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गई। पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम प्रान्हेडा तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2069–76 के खाता संख्या नया पुराना 948–1063 के खसरा संख्या 5728/4470, 4467 रकबा 2.06, 0.15हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

Scanned with OKEN Scanner